संख्याः नि0 1603/3–6 (प्रोजैक्ट टाइगर)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी/
वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
रामनगर एवं लैंसडाउन।

देहरादून दिनांक, 16 फरवरी, 2017।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "प्रोजैक्ट टाइगर" के अन्तर्गत "कार्बेट टाईगर रिजर्व" हेतु साख–सीमा मदों में बजट/साख–सीमा का आवंटन।**

संदर्भ :– **शासनादेश सं0 238/X-2-2017-12(90)/2016 दि0 10 फरवरी, 2017 (छायाप्रति संलग्न)।**

महोदय,

सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न **अलॉटमेंट आई डी–S1702270052** दिनांक 08.02.2017 से वित्तीय वर्ष 2016–17 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष की **केन्द्र पुरोनिधानित योजना "2406–02–110–01–08–प्रोजैक्ट टाइगर"** के अन्तर्गत **"कार्बेट टाईगर रिजर्व"** हेतु **साख–सीमा मदों** में अवमुक्त धनराशि **₹ 50,58,000/– (₹ पचास लाख अठ्ठावन हजार मात्र)** का **ऑन लाइन आवंटन** विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्न **शर्तो एवं प्रतिबन्धों** के अधीन जारी करते हुये **प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित** प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

1– धनराशि का व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), शासनादेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008, **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) (संशोधन) नियमावली 2015,** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु–संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये तथा भारत सरकार के पत्रांक 4–1(1)/2016–पी0टी0 दिनांक 06.09.2016 के द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना में वर्णित कार्यमदों हेतु ही सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आवंटित/जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाये।

2– उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्रांक 4–1(1)/2016–पी0टी0 दिनांक 06.09.2016 के द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के आवर्तक कार्यों के आईटम संख्या–2.5 Maintenance/creation/Up gradation of road network हेतु पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुपालन में किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यो हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर अनुमन्य मानकों के अनुसार गठित आंगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व में अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

3– धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26.07.2016 में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

4– कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

5– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जायें तथा जहॉ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।

6– बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाये और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाये।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, महालेखार एंव शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8– आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण **निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4** में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की **पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून** को भेजा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 1603 (1)/3–6 (प्रोजैक्ट टाइगर) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,सहारनपुर रोड,माजरा,देहरादून।
2– महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
3– अपर सचिव,वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 एवं अपर सचिव,वित्त (अनुभाग–4),उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व रामनगर।
8– **सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, वन विभाग उत्तराखण्ड।** कृपया उक्त **पैरा–1 से 8** में दिये गये **शर्तों/प्रतिबन्धों** का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारत सरकार के पत्रांक 4–1(1)/2016 पी0टी0 दिनांक 06.09.2016 द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं तदकम में सन्दर्भित शासनादेश में **वर्णित कार्यो** हेतु जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
9– उप वन संरक्षक, आइ0टी0सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटित/जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1603/3-6 — अलोटमेंट आई डी - C1702270161

अनुदान संख्या - 027 — आवंटन पत्र दिनांक -16-Feb-2017

CCL Division Name - Deputy Director Corbet Tiger Reserve, Ramnagar (3292) , Treasury - Ramnagar (361

लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन — 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

110 - वन्य जीवन परिरक्षण

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये

08 - प्रोजेक्ट टाइगर (100%के0 स0)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
25 - लघु निर्माण कार्य	3557000	0	3557000
29 - अनुरक्षण	25417000	3873000	29290000
	28974000	**3873000**	**32847000**

Current Allotment To Above Division - 3873000

Total Allotment To Above Treasury in Division - 3873000

Project Wise Budget Allotment Detail

क्रम	प्रोजेक्ट का नाम	ऑब्जेक्ट कोड	लेखा शीर्षक	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
1	प्रोजेक्ट टाइगर (100%के0 स0) - 361732920000840	29 अनुरक्षण	2406021100108	25417000	3873000	29290000
2	प्रोजेक्ट टाइगर (100%के0 स0) - 361732920000840	25 लघु निर्माण कार्य	2406021100108	3557000	0	3557000
			Total -	**28974000**	**3873000**	**32847000**

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1603/3-6 | अलोटमेंट आई डी - C1702270162

अनुदान संख्या - 027 | आवंटन पत्र दिनांक -16-Feb-2017

CCL Division Name - Divisional Forest Officer Kalagrah Tiger Reserve, Lansdowne (3259) , Treasury - Lan

लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन | 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

110 - वन्य जीवन परिरक्षण

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये

08 - प्रोजेक्ट टाइगर (100%के0 स0)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
25 - लघु निर्माण कार्य	2157000	0	2157000
29 - अनुरक्षण	7770000	1185000	8955000
	9927000	**1185000**	**11112000**

Current Allotment To Above Division - 1185000

Total Allotment To Above Treasury in Division - 1185000

Project Wise Budget Allotment Detail

क्रम	प्रोजेक्ट का नाम	ऑब्जेक्ट कोड	लेखा शीर्षक	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
1	प्रोजेक्ट टाइगर (100%के0 स0) - 570032590000841	25 लघु निर्माण कार्य	2406021100108	2157000	0	2157000
2	प्रोजेक्ट टाइगर (100%के0 स0) - 570032590000841	29 अनुरक्षण	2406021100108	7770000	1185000	8955000
		Total -		**9927000**	**1185000**	**11112000**